



कार्यालय मुख्य आयुक्त
Office of the Chief Commissioner
सीजीएसटी एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क (जयपुर परिक्षेत्र), जयपुर
CGST & Central Excise (Jaipur Zone), Jaipur

फा. सं.: GCCO/II/3/TRAN/15/2025-ADMN

स्थापना आदेश सं. : 55/2025

दिनांक: 02.12.2025

अधीक्षक श्रेणी में निम्नानुसार आवंटन/ पदस्थापना आदेश तत्काल प्रभाव से एवं अग्रिम आदेशों तक जारी किये जाते हैं:-

क्रम. सं.	अधिकारी का नाम	जन्मतिथि	कहाँ से	कहाँ को
1.	श्री संतोष कुमार तिवारी	30.11.1991	पदोन्नति पर	सीजीएसटी, उदयपुर
2.	श्री अशोक अटल	07.07.1989	पदोन्नति पर	अपील्स, जोधपुर
3.	श्री विपिन अग्रवाल	23.09.1989	पदोन्नति पर	सीजीएसटी, अलवर

यह आदेश मुख्य आयुक्त, सीजीएसटी एवं के.उ.शु., जयपुर जोन की संस्वीकृति से जारी किये जा रहे हैं।

(निष्ठा शर्मा)
संयुक्त आयुक्त

प्रति सूचना एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु -

1. प्रधान आयुक्त/ आयुक्त, सीजीएसटी एवं के. उ. शु., जयपुर/ अलवर/ जोधपुर/ उदयपुर/ अंकेक्षण, जयपुर/ अंकेक्षण, जोधपुर/ अपील्स, जयपुर/ अपील्स, जोधपुर/ सीमा शुल्क (निवारक), जोधपुर मुख्यालय, जयपुर।
2. वेतन एवं लेखाधिकारी, सीजीएसटी एवं सीमा शुल्क, जयपुर।
3. सम्बंधित अधिकारी।
4. अधीक्षक संघ।
5. नोटिस बोर्ड/ गार्ड फ़ाइल।
6. वेबमास्टर - जोनल वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।

नव केन्द्रीय राजस्व भवन, स्टेच्यू सर्किल, सी-स्कीम, जयपुर - 302005 (राजस्थान)

फ़ोन : 0141-2385155; फ़ैक्स : 0141-2385130, ईमेल : ccu-cexjpr@nic.in,

वेबसाइट: www.cgstjaipur.gov.in, ट्वीटर : @CGSTJAIPURZONE